



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना मऊ पुलिस/साइबर सेल द्वारा भोले-भाले ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लालच देकर वीसी सेंटर से खाता खुलवाकर साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

घटना का विवरण -

थाना मऊ निवासी एक वादी द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गई कि राममनोहर पुत्र रामप्रताप निवासी धवाड़ा द्वारा उसे सरकारी योजना का लाभ दिलाने का लालच देकर वीसी सेंटर से नया खाता खुलवाया गया और नया सिम दिलवाया गया। उसके बाद राममनोहर द्वारा उसकी पासबुक और सिम कार्ड ले लिया गया और अपने कुछ अज्ञात साथियों को दे दिया।

जिसके बाद राममनोहर व उसके अज्ञात साथियों द्वारा उसकी पासबुक व सिम का दुरुपयोग करते हुए उसके खाते व मोबाइल नंबर का उपयोग कर साइबर अपराध/अवैध लेन-देन किया गया। बैंक से जानकारी मिलने पर उसको पता चला कि उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है। वादी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए खाता अनफ्रीज कराने व दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है।

पुलिस कार्यवाही -

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 347/2026 धारा 318(4)/316(2)/319(2)/336(3)/3(5)/61(2) BNS व 66C /66(D) आईटी एक्ट बनाम राममनोहर पुत्र रामप्रताप नि0 ग्रा0 धवाड़ा थाना मऊ जनपद चित्रकूट व कुछ अज्ञात साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी साइबर सेल व उनकी टीम को गहतना से जाँच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिए गए।

साइबर सेल की जाँच से अब तक कुल 22 बैंक खाते एवं 06 मो0 नंबर प्रकाश में आए हैं जिनकी जाँच कर एनसीआरपी पोर्टल पर अन्य राज्यों/जनपदों से दर्ज शिकायतों का विश्लेषण किया जा रहा है।

चित्रकूट पुलिस की अपील -

1. किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी बैंक पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड, OTP न दें।
2. सरकारी योजना के लाभ के नाम पर नया खाता / नया सिम दिलाने के लालच में न आयें।
3. अपना खाता किराए पर न दें, यह गंभीर अपराध है। ऐसा करने पर खाता धारक भी अभियुक्त बनेगा।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल 112 या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय (नोडल अधिकारी मिशन शक्ति) की अध्यक्षता में तथा क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महिला सेल श्री जय प्रकाश उपाध्याय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों पर स्थित मिशन शक्ति केन्द्रों पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य -

1. आगामी शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान दुर्गा पंडालों, मेलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

2. मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत सरकार द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में आम जनमानस को जागरूक करना।
3. समस्त मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारियों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में ब्रीफ करना।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश -

- सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित दुर्गा पंडालों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें एवं पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करें।
- शक्ति दीदी (महिला बीट) नियमित रूप से अपने बीट क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं से संवाद स्थापित करें और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बतायें।
- मिशन शक्ति केन्द्र को 24 घंटे सक्रिय रखा जाये, आने वाली हर पीड़िता की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना जाये।
- छेड़छाड़, महिला अपराध से संबंधित शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर त्वरित विधिक कार्यवाही की जाये।
- नवरात्रि के दौरान सादे वस्त्रों में महिला पुलिस एवं एंटी रोमियो टीम की तैनाती की जाये।

सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण महिला/आपातकालीन सेवाएं -

कार्यशाला में उपस्थित महिला कर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रचार-प्रसार के दौरान आमजन को इन नंबरों के बारे में अवश्य बताएं -

- 1090 - वीमेन पावर लाइन - महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न की शिकायत हेतु
- 181 - महिला हेल्पलाइन - वन स्टॉप सेंटर सहायता
- 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन - बालकों से संबंधित अपराध हेतु
- 112 - पुलिस आपातकालीन सेवा - किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता हेतु
- 1076 - मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 102 - स्वास्थ्य सेवा एवं 108 - एम्बुलेंस सेवा

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्रीमती करिश्मा गुप्ता ने कहा कि मिशन शक्ति केवल एक अभियान नहीं बल्कि महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। शारदीय नवरात्रि में देवी स्वरूपा महिलाओं की सुरक्षा चित्रकूट पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों के मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी, महिला आरक्षी उपस्थित रहीं।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी कस्बा राजापुर उ0नि0 श्री रवीन्द्र कुमार कटियार व उनकी टीम द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही कर कुल 16 नग भैंस व 20 नग पड़वा कुल 36 नग मवेशी बरामद किए गए।

संक्षिप्त विवरण-

थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को दिनांक 24.09.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक में पशुओं को क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी कस्बा राजापुर उ०नि० श्री रवीन्द्र कुमार कटियार मय हमराह का० सन्दीप कुमार, का० लक्की सिंह, का० रोहित यादव द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।

वाहन संख्या UP90T4604 के चालक चिन्टू वर्मा पुत्र सुखदेव निवासी सतना व वाहन मालिक निहाल पुत्र अवरार निवासी सखावीरपुर भरवारी खींख राज कौशाम्बी को हिरासत में लिया गया।

ट्रक के पीछे लकड़ी के पटरे से जो बन्द था, पटरे को हटाकर देखा गया तो ट्रक को डबल डेकर में बनाकर मवेशियों को नीचे व उसके ऊपर डबल डेकर पर जानवरों के पैर व मुंह व गर्दन को रस्सियों से जकड़ कर बंधा हुआ पाया गया। सभी जानवरों को बारी-बारी से उतारा गया तो कुछ भैंस व पड़वा के शरीर पर रगड़ व चोट के निशान दिखाई दे रहे थे व मवेशियों के जीभ बाहर निकले हुए थे।

मवेशियों की गिनती करने पर कुल 16 नग भैंस व 20 नग पड़वा कुल 36 नग मवेशी बरामद हुए। मौके पर एक पड़वा सही से चल फिर नहीं पा रहा था जिसमें एक पड़वा का दाहिना सींग व खोल बाहर निकला हुआ था जिसमें से खून निकल रहा था, जिसके संबंध में पशु चिकित्साधिकारी को इलाज हेतु अलग से रिपोर्ट भेजी जा रही है।

पूछताछ पर वाहन चालक द्वारा बताया गया कि जयसी नगर जिला शहडोल (MP) मध्य प्रदेश से वाहन स्वामी द्वारा मवेशी मंडी से लदवाकर ट्रक को जनपद फतेहपुर मवेशी मण्डी ले जा रहा था। मौके पर वाहन चालक के पास पशु परिवहन संबंधी कोई वैध कागजात नहीं थे।

इस संबंध में थाना राजापुर पर मु०अ०सं० 318/2026 धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधि० 1960 व धारा 207 MV Act के तहत अभियोग पंजीकृत कर वाहन चालक पिन्टू वर्मा पुत्र सुखदेव को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद 36 मवेशियों को सुरक्षित सुपुर्दगी हेतु संबंधित को सौंपा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री रवीन्द्र कुमार कटियार
2. का० सन्दीप कुमार
3. का० लक्की सिंह
4. का० रोहित यादव